ग्राम पंचायत बैरी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बैरी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सरोतन देवी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमती रेखा शर्मा	23.01.16 से लगातार

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अश्वनी कुमार	01.04.14 से 20.10.16
2	श्री रमेश चन्द	21.10.16 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत बैरी, विकास खण्ड सुजानपुर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	रोकड़ बही के अन्तिम शेष का बैंक खातों से मिलान न करना	4.3	–
2	बैंक में जमा धन राशि का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	4.4	1.17
3	पंचायत के खाते निजी बैंक में खोलने बारे	4.5	–

4	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	5	0.28
5	अनुदान का अवरोधन	6	20.28
6	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय	7	–
7	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	8	–
8	निर्माण सामग्री का अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर क्रय करना	9	–

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बैरी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनॉंक 22.04.2017 से 03.05.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जॉंच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	06/2014	03/2015
2014–15	03/2016	09/2015
2015–16	05/2016	07/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बैरी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356 दिनॉंक 03.05.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या

200949 (KCCB) दिनांक 04.05.17 ₹7200 निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत बैरी, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	316742	45177	361919	30977	330942
2015–16	330942	22192	353134	22064	331070
2016–17	331070	48661	379731	40454	339277

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत बैरी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	493961	2422590	2916551	2298414	618137
2015–16	618137	1894081	2512218	1588306	923912
2016–17	923912	4077123	5001035	2973441	2027594

4.1 बैंक समाधान विवरणीः–

स्वः स्त्रौतः–

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष ₹339277

अनुदानः–

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष ₹2027594

2366871

Cheque No. 207791 dated 22.03.17 (13th FC) ₹1179 issued but not presented for payment.

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष ₹2367718

हस्तगत राशि ₹20

अन्तर की राशि ₹312

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN. (A) KCCB-05024	251490
GEN. (B) KCCB-63304	421574
IAY, PNB-50964	90

14th FC, HDFC-96090	918473
13th FC, PNB-37954	530698
SBM, HDFC-94316	245393
MNREGA, PNB-35859	0
कुल राशि	**2367718**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खाते के अन्तिम शेष में ₹312 का अन्तरः–

जाँच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, 3rd SFC, TSC एवं 13th FC में प्राप्त आय व अनुदान को उक्त विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था लेकिन समय–2 पर नियमानुसार रोकड़ बही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को ₹312 का अन्तर पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाऐं।

4.3 रोकड़ बही के अन्तिम शेष का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत बैरी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 बैंक में जमा धन राशि का रोकड़ बही में लेखांकन न करनाः–

जाँच में पाया कि पंचायत के नाम बैंक खाता संख्या PNB-1726000100041590 में दिनांक 23.02.17 को ₹116569 जमा थे एवं दिनांक 27.02.17 को यह राशि Dead account हो जाने के कारण बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के खाते में हस्तांतरित कर दी गई थी। अतः बैंक के अधिकारियों के समक्ष मुददा उठाकर इस राशि को पुनः पंचायत के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त जाँच में पाया कि इस खाते का रख–रखाव रोकड़ बही में नहीं किया गया था एवं अंकेक्षण अवधि में इस खाते से कोई लेन–देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इस खाते के रख–रखाव के उद्देश्य से अंकेक्षण को भी अवगत नहीं करवाया जिससे इस खाते में जमा राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस खाते को खोलने के उद्देश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इसका रख–रखाव रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें ताकि इसमें जमा राशि का दुरूपयोग न हो सके।

4.5 पंचायत के खाते निजी बैंक में खोलने बारेः–

जाँच में पाया कि पंचायत के 14th FC एवं SBM के खाते निजी बैंक एच0डी0एफ0सी0 सुजानपुर में खोले गए थे जोकि वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin-IF-(A)1-68/91-V दिनाँक 17.04.14 में दिये गये दिशा–निर्देशों की सरासर अवहेलना है। उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थाओं की अतिरिक्त राशि Cooperative Bank में निवेशित की जानी अपेक्षित थी। अतः पंचायत निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार Cooperative Bank की नजदीक की शाखा में पंचायत की राशि को निवेशित करना सुनिश्चित करें।

5 पंचायत राजस्व ₹0.28 लाख की वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में गृहकर एवं मोबाईल टॉवर फीस के रूप में वसूली हेतु ₹27680 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹27680 की वसूली शेष थी।

1 गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	गृहकर की माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	20	12240	12260	12140	120
2015–16	120	12500	12620	11700	920
2016–17	920	12800	13720	12040	1680

2 मोबाईल टावरः–

(i) एयरटेल मोबाईल टावरः–

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	0	2500	2500	0	2500
2015–16	2500	2500	5000	5000	0
2016–17	0	2500	2500	0	2500

(ii) मोबाईल टावरों से प्राप्त आय की जाँच में यह पाया गया कि रिलायन्स कम्पनी का मोबाईल टावर अवधि 01/2008 को पंचायत क्षेत्र में स्थापित किया गया था लेकिन उक्त कम्पनी से मोबाईल टावर की स्थापना फीस एवं नवीनीकरण फीस प्राप्त नही की गई थी। अतः अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त माबाईल टावर की स्थापना एवं नवीनीकरण फीस की वसूली नहीं की जा रही है एवं टावर की स्थापना फीस ₹4000 एवं नवीनीकरण फीस ₹19500 (अवधि 2008–09 से 2013–14 तक ₹2000 प्रति वर्ष एवं वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक ₹2500 प्रति वर्ष) की वसूली करना अपेक्षित है। अतः ₹23500 की वसूली मोबाईल टावर कम्पनी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

3 भू–राजस्व की वसूली न करनाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014–15 से 2016–17 में भू–राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे।अतः नियमानुसार भू–राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ–साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

4 जाँच में पाया कि पंचायत ने अपनी आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए दो दुकानों का निर्माण किया था, जोकि क्रमशः दिनांक 31.03.15 एवं 30.06.16 के पश्चात से खाली पड़ी है। अतः इन दुकानों को पुनः किराए पर देने के प्रयास किए जाएँ ताकि पंचायत की आय में वृद्धि हो सके।

6 अनुदान ₹20.28 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक अनुदान ₹2027594 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यो हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित है। चयनित महों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय तथा अन्य खर्चे का भुगतान औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
	General Cash Book				
1	120 दिनांक 13.03.15	बिल संख्या– दिनांक –, मै0 बिन्दु ठाकुर	लेंटर डालने हेतु भुगतान	3586	नि0 शमशान घाट, बैरी
2	127 दिनांक 24.03.15	बिल संख्या 957 दिनांक 05.03.15, मै0 राजेन्द्रा आर्टस	21 डस्टबिन	4200	–
3	142 दिनांक 30.03.15	बिल संख्या 1344 दिनांक 08.04.12, मै0 ठाकुर स्टील कम्पनी	स्टील	2000	नि0 सामुदायिक शौचालय खेल मैदान के पास

4	143 दिनांक 30.03.15	बिल संख्या 100 दिनांक 02.04.12, मै0 प्रदीप सिंह रंगडा	ईंटें	3600	–यथोपरि–
5	147 दिनांक 31.03.15	बिल संख्या –, दिनांक, मै0 केहर सिंह	शैटरिंग	6391	नि0 महिला मण्डल भवन, कुडाणा
6	150 दिनांक 31.03.15	बिल संख्या 42 दिनांक 28.02.15, मै0 विश्वकर्मा इण्डस्ट्री	7 डस्टबिन	13151	–
7	151 दिनांक 31.03.15	बिल संख्या 44 दिनांक 03.03.15, मै0 विश्वकर्मा इण्डस्ट्री	14 डस्टबिन	26100	–
8	154 दिनांक 08.08.16	बिल संख्या 7662 दिनांक 01.08.16, मै0 राना ट्रेडिंग कम्पनी	स्टील	23470	नि0 अप्वर्धन गोसदन, बैरी
	13th FC				
9	6 दिनांक 06.07.16	बिल संख्या 572 दिनांक 15.05.16	पैंट इत्यादि	7960	नि0 महिला मण्डल भवन, कुडाणा
10	7 दिनांक 06.07.15	बिल संख्या 208 दिनांक 30.4.16, मै0 महाराज ट्रेडिंग कम्पनी	टाइल्स	32155	–यथोपरि–
11	10 दिनांक 13.07.16	बिल संख्या 1789 दिनांक 30.5.16, मै0 संजय कुमार सोनी	ग्रेनाईट स्टोन	3000	–यथोपरि–

8 क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने जारी करने एवं भण्डारण सम्बन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। अंकेक्षण अवधि के चयनित महों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा पैरा 7 में वर्णित बिलों में क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसारी न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरो ंपर करने के फलस्वरूप ₹1060 का अधिक भुगतानः–

जाँच में पाया कि वर्ष 2016–17 में निर्माण सामग्री के क्रय हेतु प्रस्ताव संख्या–17 दिनांक 23.05.16 द्वारा क्रशर बजरी व रेत की आपूर्ति हेतु ₹29 प्रति घन फुट की दरें मैसर्ज विजय राणा के पक्ष में अनुमोदित की गई थी। लेकिन चयनित माहों के बिलों की जाँच में पाया कि निम्न विवरणानुसार खडड की बजरी, रेत व गोला पत्थर का क्रय मैसर्ज विजय राणा से अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर किया गया था, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

वा0सं0	बिल का विवरण	अनुमोदित दरें	भुगतान की गई दरें	अधिक भुगतान
37 दिनांक 01.07.16	बिल संख्या – दिनांक – मै0 विजय राणा	₹14 प्रति घन फुट	150 cft रेत @ ₹16 ₹14 per cft Total ₹2400	₹300 (150X2)
39 दिनांक 01.07.16	बिल संख्या – दिनांक– मै0 विजय राणा	₹14 प्रति घन फुट	80 cft रेत, 150 cft बजरी, 20 cft पत्थर @ ₹16 per cft Total ₹4000	₹500 (250X2)
40 दिनांक 01.07.16	बिल संख्या – दिनांक– मै0 विजय राणा	₹14 प्रति घन फुट	50 cft बजरी @ ₹16 per cft Total ₹800	₹100(50X2)
9 दिनांक 13.07.16	बिल संख्या – दिनांक– मै0 विजय राणा	₹14 प्रति घन फुट	80 cft बजरी @ ₹16 per cft Total ₹1280	₹160 (80X2)
		अधिक भुगतान की गई राशि		**1060**

अतः वर्ष 2016–17 में चयनित माहों के अतिरिक्त अन्य माहों में अधिक दरों पर क्रय के फलस्वरूप पंचायत को हुई हानि की गणना अपने स्त्तर पर करके इसकी वसूली भी उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

10 आपूर्तिकर्ताओं को तीन वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात ₹0.06 लाख भुगतान करने बारेः–

जाँच में पाया कि आपूर्तिकर्ताओं ने पंचायत के कार्य "नि0 सामुदायिक शौचालय खेल मैदान के पास" हेतु निम्न विवरणानुसार माह 04/2012 को ₹5600 के मूल्य की निर्माण की आपूर्ति की थी जबकि भुगतान 03/2015 में किया गया था अर्थात आपूर्ति के तीन वर्ष के पश्चात भुगतान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस अनियमित भुगतान को नियमित करवाना सुनिश्चित करें।

वा0सं0	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
142 दिनांक 30.03.15	बिल संख्या 1344 दिनांक 08.04.12, मै0 ठाकुर स्टील कम्पनी	स्टील	2000	नि0 सामुदायिक शौचालय खेल मैदान के पास
143 दिनांक 30.03.15	बिल संख्या 100 दिनांक 02.04.12, मै0 प्रदीप सिंह रंगडा	ईंटें	3600	–यथोपरि–

11 आपूर्तिकर्ता को वैट के रूप में ₹300 का अनियमित भुगतानः–

जाँच में पाया कि आपूर्तिकर्ता ने पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण सामग्री का क्रय किया गया था जिसमें Labour component के ऊपर 5**%** की दर से वैट के रूप में ₹300 का भुगतान किया गया था जोकि नियमानुसार देय नहीं था। अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत की सम्बन्धित निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। क्रय सामग्री का विवरण निम्नलिखित हैः–

वा0सं0	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	अनियमित भुगतान
8 दिनांक 06.01.17	बिल संख्या, 335 दिनांक 20.12.16, मै0	6000 ईंटें @ ₹7 प्रति ईंटे=42000	वैट @ 5**%** मजूदरी के उपर ₹150

	मनू ईन्टरप्राईजिज	मजदूरी=3000 वैट @ 5%=2250	
11 दिनांक 20.01.17	बिल संख्या 405 दिनांक 05.01.17, मै0 मनू ईन्टरप्राईजिज	6000 ईटें @ ₹7 प्रति ईंटे=42000 मजदूरी=3000 वैट @ 5%=2250	वैट @ 5% मजूदरी के उपर ₹150

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1 अनुदान रजिस्टर
2 यात्रा भत्ता बिल का जाँच पड़ताल रजिस्टर
3 गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना
4 अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना
5 मोबाईल टावर की आय के रख रखाव का रजिस्टर न रखना
6 दुकानों के किराये के रख–रखाव का रजिस्टर तैयार न करना

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते (नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी—छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15 **निष्कर्ष :—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0)एच0(पंच)15(6)12 / 2017 खण्ड—1—4708—4711,दिनांक—28—07 —2017
शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत बैरी, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला—09 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046